निर्णय न्यायालय श्री नन्दकिशोर राजोरा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :- 08/2017 प्रार्थना-पत्र
दायरा दिनांक :- 18.08.2014
निर्णय दिनांक :-23.09.2019

उनवान

1. शिवचरण पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी बालापुरा
2. रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी बालापुरा
3. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबड़ा जिला बारां

बनाम

1. मदनलाल आत्मज मथुरालाल जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबड़ा।
2. जमनालाल आत्मज मथुरालाल जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबड़ा।
3. रामप्रसाद आत्मज मथुरालाल जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबड़ा।
4. गजानंद आत्मज मथुरालाल जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबड़ा।
5. कंचन पुत्री मथुरालाल जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबड़ा।
6. सम्पत पुत्री मथुरालाल जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबड़ा।
7. भँवरी पुत्री मथुरालाल जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबड़ा।
8. गुलाब बेवा मथुरालाल जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबड़ा।
9. सरकार जर्ये सरपंच जड़िया बाई ग्राम पंचायत निपानिया तहसील छबड़ा।
10. सरकार जर्ये हल्का पटवारी निपानिया तहसील छबड़ा।
11. सरकार जर्ये तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी महोदय छबड़ा जिला बारां
12. शाखा प्रबधंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छबड़ा जिला बारां राज.।

अपील इन्तकाल नम्बर 1634 दिनांक 20.06.2013
निर्णय दिनांक :- 23.09.2019

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री दौलत राम मीणा -अपीलान्ट
2. श्री इमादुल्ला खान-रेस्पो0

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील इन्तकाल नम्बर 1634 दिनांक 20.06.2013 के विरूद्ध अपील इस आशय की पेश की है कि माल निपानिया मे खाता संख्या 260/252 मे स्थित खसरा नंबर 1195/1246 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा पैत्रिक कृषि आराजी स्थित है, जिससे सम्बन्धित उक्त दो नामान्तकरण ग्राम पंचायत निपानिया के द्वारा तस्दीक किये गये है, जो गैर कानूनी तरीके से नोन अपीलार्थीगण ने तथ्यों को छिपाकर नामान्तकरण ग्राम पंचायत को चकमा देकर खुलवाया है, जो खारिज योग्य है। अपीलान्ट के दादा छोदुलाल के वारिसान के सजरा अनुसार भोलाराम के कोई ओलाद नही थी, ना

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

की पत्नी थी। भोलाराम ने अपना भरण पोषण करने वाले स्वयं के भाई के लड़के अपीलार्थीगण के नाम उपरोक्त आराजी मे वर्णित अपने हिस्से 2/3 की वसीयत दिनांक 05.04.1986 को करा दी थी। वसीयत ग्राम पंचायत के द्वारा तस्दीक की गई थी, जिसका ज्ञान नोन अप्रीलार्थीगण को भी था। अपीलार्थीगण के नाम भोलाराम द्वारा कराई गयी वसीयत के नामान्तकरण अपीलार्थीगण खुलाने के लिये गये तो हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि भोलाराम के हिस्से की जमीन का फर्जी मृत्यु प्रमाण–पत्र के जर्ये नामान्तकरण खुल चुका है, इसलिए राजस्व रिकार्ड मे दूसरा नामान्तकरण नही खोल सकता। इसलिए उक्त नामान्तकरण को खारिज करवाने के लिये और वसीयत से नामान्तकरण खुलवाने के लिये यह अपील पेश की जा रही है। उक्त आराजी अपीलार्थीगण के जन्म से कब्जे काश्त मे है। बैंक लोन नही दे , कानून के प्रावधानो के अनुसार गैर कानूनी तरीके से खुलवाये गये नामान्तकरण को खारिज करने का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अतः अपील अपीलार्थीगण विरूद्व रेस्पोडेन्ट श्रीमान से निवेदन है कि गैर कानुनी तरीके से खुलवाये गये उक्त वर्णित नामान्तण को खारिज फरमाने और भोलाराम द्वारा कराई गयी वसियत के आधार पर अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे भोलाराम का हिस्सा 2/3 दर्ज करने एवं रेस्पोडेन्ट क्र0 9 ता 11 को पाबन्द फरमाने की कृपा करे।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील नामा0 सं0 1634 दिनांक 20.06.2013 विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस न्यायालय मे पेश की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब पेश किया गया। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे – नकल इन्तकाल ग्राम निपानिया 1634 दिनांक 20.06.2013, नकल इन्तकाल ग्राम निपानिया 1633, नकल जामाबन्दी ग्राम निपानिया सं0 2066 से 2069 पेश की, नकल मुत्यु प्रमाण पत्र भोला दिनांक 20.05.2014, नकल मुत्यु प्रमाण पत्र जगन्नाथ, नकल वासियत नामा दिनांक 05.04.1986 एवं खा़द्य विभाग रशीद पेश की गई।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई है जिसमे बताया है कि वाके माल निपानिया मे स्थित खसरा नं0 1194/1246 07 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। जो अपीलार्थीगण के पिता जगन्नाथ व दाजी भोला उर्फ भोलाराम द्वारा अर्जित थी। इसलिए अपील मे पेत्रिक शब्द यूज किया गया है। रेस्पोडेन्ट भी उक्त दोनो के द्वारा निर्मित मानते है। और अपील मे रेस्पोडेन्ट ने जवाब नही दिया है। कुछ रेस्पोडेन्ट ने राजीनामा पर हस्ताक्षर करते हुए शपथ पत्र भी दिये है। और जाहिर किया की जमीन अपीलार्थी के नाम खातेदारी मे दर्ज होनी चाहिए और उक्त आराजी से सम्बन्धित भोला उर्फ भोलाराम खातेदार ने अपीलार्थीगण के पक्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कराकर वसीयत भी कर रखी है। उक्त दोनो भाईयो का हिस्सा 2/3 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज था और रेस्पोडेन्ट के पिता मथुरालाल के द्वारा बटवारा कराने के कारण उसका हिस्सा 1/3 दर्ज जमाबंदी चला आा रहा। जगन्नाथ व भोला का समुक परिवार का नुकता भी अपीलार्थीगण ने किया था

रेस्पोडेन्ट मथुरालाल के वारिस है परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजी किो हडपने की नियत से भोला उर्फ भोलाराम के वारिस व पुत्रगण बनकर फर्जी शपथ पत्र गवाहन के पेश कर फर्जी मुत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उक्त आराजी का फर्जी नामात्नरण हल्का पटवारी भगवानसिंह मीना से खुलवा लिया पटवारी नयॉ था। इसलिए धोखा खा गया और बिना जॉच किये ही रेस्पोडेन्ट पर विश्वास करके नामान्तरण खोल दिया तत्कालीन सर्किल कानोगो गंगाधर जी थे जिन्होने नामान्तरण नर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था तो दुसरे सर्किल के कानोगो अशोक शर्मा ये हल्का पटवारी ने बचने के लिए हस्ताक्षर करा लिये उक्त फर्जी नामान्तरण की सूचना मिलने पर अपीलार्थीगण ने जॉच पडताल करी और फौजदारी मुकदमा पुलिस थाना छबडा मे दर्ज करवाया पुलिस ने एफ0आई0आर0 न0 282/014 दर्ज कर अनुयंधान किया और नामान्तरण

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

को फर्जी पाया और मुल्जिमानो को गिरफदार किया और चालान पेश किया जिसमे पटवारी को भी मुल्जिम बनाया गया है। मुकदमा ट्राईल मे है।

भोलाराम उर्फ भोला के द्वारा की गई वसीयत के आधार पर बालापुरा की जमीन की नामान्तरण अपीलार्थीगण के पक्ष मे खुल गये थे उक्त आराजी का नामान्तरण खुलना शेष रह गया था। जिसका रेस्पोडेन्ट ने फर्जी नामान्तरण खुलवाया जिसकी अपील है। फर्जी नामान्तरण निरस्त होने के बाद उक्त आराजी वापस मृतकगण के नाम जायेगी। और जगन्नाथ का हिस्सा 1/3 वसीयत अनुसार अपीलार्थीगण के पक्ष मे खातेदारी मे दर्ज होगा और भोला का हिस्सा 1/3 वसीयत अनुसार अपीलार्थीगण के पक्ष मे खातेदारी मे दर्ज होगा अर्थात 2/3 हिस्सा अपीलार्थीगण खातेदारी मे दर्ज करवाने के अधिकारी है। रेस्पोडेन्टगण को उनके पिता मथुरालाल का हिस्सा 1/3 पहले ही प्राप्त हो चुका है इसलिए हिस्से 2/3 मे रेस्पोडेन्ट को स्वत्व व हक प्राप्त करने का अधिकार नही है। रेस्पोडेन्ट ने अपील का कोई लिखित जवाब नही दिया है। मौखिक कथन साक्ष्य मे मान्य नही है। अपील को समझने के लिए परिवार सजरा अलग से संलग्न है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि खुलवाये गये फर्जी नामान्तरण न0 1634 दिनांक 20.06.2013 को अपास्त किया जावे रेस्पोडेन्टगण का नाम खातदारी जमाबदी से हटाया जावे और उक्त आरजी का हिस्सा 2/3 अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज करने हेतु निर्देशित फरमाने की कृपा करे।

बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन मे बताया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि नही है। बल्कि रेस्पोडेन्ट के पिता मथुरालाल व मथुरालाल के भाई भोलाराम के सामलाती भूमि हे मथुरालाल व भोलाराम सगे भाई है भोलाराम मथुरालाल के पास रहता था भोला की जिन्दगी भोला की देखनाल मथुरालाल व उसके बाद उसके करते थे भोला की मृत्यु के पश्चात उसका क्रियाकर्म भी रेस्पोडेन्ट 1 ताप ने किया भोला ला औलाद फोत होने के कारण भोला की आराजी कर हिस्सा मथुरालाल के वारिसान के खाते दर्ज हो गया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने यह भी कथन कहा कि वारिसान का सजरा सही है लेकिन अपीलान्ट द्वारा बताई गयी वसियत झुटी व कुट सचित है वादग्रस्त भूमि से अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध नही है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 05.04.1986 की जिस वसियत का जिक्र किया है वह फर्जी व कुट रचित है उक्त वसियत के द्वारा अपीलान्ट का कोई अधिकार प्राप्त नही है विवाद ग्रस्त है आराजी को मथुरालाल व उसके वारिसान ही काश्त करते थे। एक साल पहले अपीलान्ट ने विवाद ग्रस्त आराजी मे से 2–3 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया

बहस के दौरान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने ये कथन भी कहा कि इस वसियत के सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्ट जमनालाल ने उक्त वसियत फर्जी व कुटरचित होने के सम्बन्ध मे अपीलान्ट व राजीनामा की कह कर अपीलान्ट व पंचायत के तत्कालीन सरपंच ने रेस्पोडेन्ट जमनालाल के अलावा कोई रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 3 ता 8 से धोखे से स्टम्प लिखवा कर हस्ताक्षर करा लिया तथा रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 03 ता 8 से कहा कि अब राजीनामा हो गया अब कोई लडाई–झगडा नही है नही करेगा। रेस्पोडेन्ट को धोखा देकर झुठ बोलकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 3 ता 8 से अपीलान्ट ने अपने पक्ष मे स्टाम्प लिखवा लिया यह स्टम्प झुठ बोलकर लिखवाया गया। रेस्पोडेन्ट 1 व 3 ता 8 अनपढ है। रेस्पोडेन्ट 1 व 3 ता 8 स राजीनामा को कहकर हस्ताक्षर अगूठा करवा लिया। अपीलान्ट द्वारा लिखवाये गये स्टम्प झुठे व कुट रचित है। अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है तथा विवाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे अपीलान्ट ने न्यायालय मे श्रीमान के यहा 88,89,188, RTA व धारा 136 LRACT के तहम पेश किया जिसमे आगमी पेशी नियत है वाद पत्र मे भी रेस्पोडेन्ट ने अपील मे दर्ज इन्तकाल के शुद्धीकरण की प्रार्थना की है ऐसी स्थिति मे अपील चलने योग्य नही होने से खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई पत्रावली का एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल नामा0 ग्राम निपानिया इ0न0 1634 के अनुसाार मृतक भोला पुत्र छोटु का फोती इ0 तस्दीक होना पाया जाता है नकल जामाबन्दी ग्राम निपानिया स0 2066 से 69 खाता सं0 260 मे मदनलाल जमनालाल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉं (राज.)

Scanned by CamScanner

रामप्रसाद गजानन्द पुत्र मथरा एवं रूपा बेवा मथुरालाल हिस्सा 1/3 भोला पुत्र छोटु हिस्सा 2/3 दर्ज है। जमाबन्दी के कालम सं0 11 से 13 मे नामा0 सं0 1634 दिनांक 15.06.2013 विरासत से सम्पुर्ण खाता मदनलाल जमनालाल रामप्रसाद गजानन्द पुत्र मथरालाल भॅवरी सम्पत कंचन गुलाब बाई पुत्रीया मथुरालाल के नाम दर्ज होने का नोट अंकित है।

प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.05.2014 के अनुसाार भोला की मृत्यु दिनांक 05.05.1990 होना दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.05.2014 के अनुसार जगन्नाथ की मृत्यु 04.08.1995 को होना दर्ज है। नकल वसियत नामा0 दिनांक 05.04.1986 के अनुसार भोला पुत्र छोटु जाति मीणा सा0 बालापुरा द्वारा अपने हिस्से की आराजीयत को वसियत बाबूलाल,रामस्वरूप,व शिवचरण के हक मे की गई नकल ग्राम पंचायत के मृत्यु रजि0 को फोटो कापी के अनुसार जगन्नाथ की मृत्यु 04.08.1995 व भोला की मृत्यु 05.05. 1990 को होना अंकित है, जिसकी रजिस्ट्रीकरण की तारीख 20.05.2014 अंकित है, तथा मृत्यू रजिस्टार मे भोला पुत्र छोटुलाल की मृत्यु कर तारीख 02.02.2012 अंकित है, एवं रजिस्ट्रीकरण की तारीख 03.05.2013 अंकित है।

प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार मृतक भोला की मृत्यु की तारीख 05.05.1990 व 02.02.2012 दर्ज है इससे यह सबित होता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर भोला की मृत्यु 05.05.1990 दर्ज है, परन्तु ग्राम पंचाायत पचपाडा के मृत्यु रजि0 मे भोला की मृत्यु की तारीख 05.05.1990 व 02.02.2012 अंकित है। जबकि भोला की वास्ताविक मृत्यु दिनांक 05.05.1990 है।

इन्तकाल नं0 1634 दिनांक 20.06.2013 मृतक भोला का फोती नामा0 रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 8 के नाम खोला जाकर तस्दीक किया गया था, जबकि मृतक भोला द्वारा अपने जीवन काल मे ही दिनांक 05.04. 1986 को बाबूलाल, रामस्वरूप, शिवचरण अपीलान्ट के पक्ष मे वसियत की गई। वसियत का नामा0 अपीलान्ट के पक्ष मे न खोला जाकर मृतक भोला का फोती नामा0 रेस्पोडेन्ट न0 1 ता 8 के पक्ष मे नामा0 सं0 1634 खोला जाकर तस्दीक किया गया है। जबकि वसियत के आधार पर आपीलान्ट के नाम नामा0 खोला जाकर तस्दीक किया जाना चाहिये था। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामा0 नं0 1634 खारिज किया जाना न्यायोचित है।

: क्रियात्मक आदेश ::

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है नामा0 सं0 1634 दिनांक 20.06.2013 खारिज किया जाता है, तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि मृतक भोला द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे की गई वसियत की जांच एवं समस्त हितवद्ध पक्षकारान को सुनवाई का [illegible] अवसर देकर नामान्तकरण पर न्यायोचित कार्यवाही करे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)
(नन्दकिशोर राजोरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा

Scanned by CamScanner